एडवान्स प्रति

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में श्रीमान महानिबन्धक महोदय
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

Dated:30.04.2024

पत्राँक सं० : 241 /D.L.S.A./Blp.

विषय : अधोहस्ताक्षरी का माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन समय से और आज तिथि तक (लगभग छः माह व्यतीत होने को हैं) प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

अवगत कराना है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी को माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को कई बार पत्र व प्रतिलिपि भी प्रेषित की गयीं एवं मौखिक रूप से भी कई बार निवेदन किया गया, उसके बावजूद अभी तक वेतन प्रदान नहीं किया गया है, और इस सम्बन्ध में कई पत्र व प्रतिलिपि प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किये गये जिन्हें प्रशासनिक लिपिक द्वारा प्राप्त किया गया लेकिन पावती नहीं दी गयी है। श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक को भी बिल बाउचर तैयार करने के लिए पत्र व प्रति प्रेषित की गयीं और उनके द्वारा भी मेरा उक्त अवधियों का बिल बाउचर तैयार नहीं किया गया और कुछ पत्र व प्रतिलिपि आदि की पावती नहीं दी गयी है , व कुछ पत्र/प्रतिलिपि को लेने से ही इन्कार कर दिया गया । श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय से उक्त माहों का वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनाँक 07.03.2024 व दिनाँक 05.04.2024 को व्यक्तिगत रूप से भेंट कर निवेदन भी किया गया, लगभग छः माह व्यतीत होने को हैं, लेकिन अभी तक माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन मुझे प्रदान नहीं किया गया है और न ही श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक द्वारा मेरा बिल बाउचर तैयार किया जा रहा है। अतः अत्यन्त विवश व निराश होकर एवं अन्य कोई विकल्प शेष न रहने पर यह प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके आधार निम्नवत हैः-

01. यह कि श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक द्वारा मेरा माह नवम्बर 2023 का बिल वाउचर शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बिल वाउचर के साथ दिनाँक 30.11.2023 को तैयार नहीं किया गया जबकि शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का माह नवम्बर 2023 का बिल वाउचर दिनाँक 30.11.2023 में ही तैयार कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

277-277 30.11.2023	: Sh. Anil Kumar Jha	For the month of November 2023
278-278 30.11.2023	: " Iftekhar Ahmad	For the month of November 2023
279-279 30.11.2023	: " Abhinitam Upaddhayay	For the month of November 2023
280-280 30.11.2023	: " Vinod Kumar	For the month of November 2023

281-281 30.11.2023 : " Jahendra Pal — For the month of November 2023
282-282 30.11.2023 : " Ratnesh Deep Kamal Anand — For the month of November 2023
283-283 30.11.2023 : " Yogesh Kumar — For the month of November 2023
284-284 30.11.2023 : Km. Akshita Mishra — For the month of November 2023
285-285 30.11.2023 : Sh. Vinesh Kumar — For the month of November 2023
286-286 30.11.2023 : Pay of employees of Blp Judgeship — For the month of November 2023

02. यह कि निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों का माह नवम्बर 2023 का बिल वाउचर लेखा लिपिक द्वारा दिनाँक 12.12.2023 में तैयार किया गया और इस अवधि में भी मेरा बिल वाउचर श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक द्वारा तैयार नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

293-293 12.12.2023 : Sh. Gyanendra Kumar — For the month of November 2023
294-294 12.12.2023 : " Atul Kumar Nayak — For the month of November 2023

03. यह कि उक्त श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक द्वारा मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का बिल वाउचर शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के बिल वाउचर के साथ दिनाँक 01.01.2024 में भी तैयार नहीं किया गया जबकि शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का माह दिसम्बर 2023 का बिल वाउचर दिनाँक 01.01.2024 में ही तैयार कर दिया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है:-

296-296 01.01.2024 : Sh. Anil Kumar Jha — For the month of December 2023
297-297 01.01.2024 : " Iftekhar Ahmad — For the month of December 2023
299-299 01.01.2024 : " Abhinitam Upaddhayay — For the month of December 2023
298-298 01.01.2024 : " Vinod Kumar — For the month of December 2023
300-300 01.01.2024 : " Jahendra Pal — For the month of December 2023
301-301 01.01.2024 : " Gyanendra Kumar — For the month of December 2023
302-302 01.01.2024 : " Atul Kumar Nayak — For the month of December 2023
303-303 01.01.2024 : " Ratnesh Deep Kamal Anand — For the month of December 2023
304-304 01.01.2024 : " Yogesh Kumar — For the month of December 2023
305-305 01.01.2024 : Km. Akshita Mishra — For the month of December 2023
306-306 01.01.2024 : Sh. Vinesh Kumar — For the month of December 2023
307-307 01.01.2024 : Pay of employees of Blp Judgeship — For the month of December 2023

<u>04.</u> यह कि मुझ अधोहस्ताक्षरी को माह नवम्बर 2023 का वेतन न तो माह दिसम्बर 2023 और न ही माह जनवरी 2024 में शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दिनाँक 01.01.2024 तक प्रदान किया गया और न ही माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 01.01.2024 तक प्रदान किया गया, और न ही आज तिथि तक (**<u>लगभग छः माह व्यतीत होने को हैं</u>**) प्रदान किया गया है।

<u>05.</u> यह कि जब दिनाँक 01.01.2024 तक लेखा लिपिक ने मेरे उक्त माहों का बिल वाउचर तैयार नहीं किया तब मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को एक आवेदनपत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया गया लेकिन तब भी लेखा लिपिक ने मेरा बिल वाउचर तैयार नहीं किया ।

[संलग्रक सं० 01]

<u>06.</u> यह कि दिनाँक 17.01.2024 को लेखा लिपिक ने मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का तीन-तीन दिन कम करके बिल वाउचर तैयार किया और मेरे समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया। तब मेरे द्वारा पूरे माह का बिल वाउचर तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, और दिनाँक 17.01.2024 को ही श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को मेरे द्वारा पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया, लेकिन तब भी लेखा लिपिक ने मेरा बिल वाउचर तैयार नहीं किया। **[संलग्रक सं० 02]**

<u>नोट</u>: इस आवेदनपत्र को प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कर लिया गया लेकिन इसकी पावती देने से इन्कार कर दिया गया, जिसके पीछे भाग पर सम्बन्धित ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है।

<u>07</u>. यह कि दिनाँक 31.01.2024 को आहरण एवं वितरण अधिकारी/ विशेष न्यायाधीश S.C./ S.T. (P.A.) Act द्वारा एक आख्या श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित की गयी और श्रीमान जनपद न्यायाधीश के आदेश से उक्त आख्या से मुझे अवगत कराया गया । **[संलग्रक सं० 03]**

यह कि आहरण एवं वितरण अधिकारी/ विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A.) Act की आख्या का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पत्र/आख्या दिनाँकित 04.12.2023 व 08.01.2024 के द्वारा **<u>(कार्य पर उपस्थित रहने के बावजूद)</u>** मुझे, माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 में क्रमशः तीन-तीन दिन अनुपस्थित दर्शाया है और इसकी सूचना लेखा लिपिक को दी गयी और लेखा लिपिक ने इसकी सूचना आहरण एवं वितरण अधिकारी/ विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A.) Act को दी। लेखा लिपिक द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित आख्या जिसमें प्रशासनिक अधिकारी की आख्या <u>दिनाँकित 04.12.2023 व 08.01.2024 का उल्लेख है, के विरूद्ध अधोहस्ताक्षरी द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी को दिनाँक 14.02.2024 को आवेदन दिया गया और **मेरे कार्य पर उपस्थित रहने के आधार पर,** अपना माह नवम्बर 2023 व दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान किये जाने हेतु आवेदनपत्र मय संलग्रक प्रेषित किया।</u>

[संलग्रक सं० 04/1-04/4]

<u>लेखा लिपिक ने, प्रशासनिक अधिकारी की जो आख्या, आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित की और आहरण एवं वितरण अधिकारी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश को जो आख्या प्रस्तुत की उसके बावत मेरा कथन निम्नलिखित हैः-</u>

(i). <u>यह कि **प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दि० 04.12.2023** (जो दिनाँक 04.12.2023 को प्रस्तुत किया जाना बताया गया है यद्यपि ऐसी कोई आख्या दिनॉक 08.01.2024 तक आस्तित्व में थी ही नहीं, बल्कि दिनाँक 08.01.2024 के पश्चात और मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को आवेदन दिये जाने के पश्चात Back Date में तैयार की/ करवायी गयी है) असत्य, फर्जी व कूट रचित है, जो कि जाँच का विषय है।</u>

<u>यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रशासनिक अधिकारी ने मेरे माह नवम्बर 2023 की उपस्थिति के बावत दिनाँक 04.12.2023 को लेखा लिपिक को आख्या प्रस्तुत की तब भी लेखा लिपिक को मेरा, बिल वाउचर, आख्या दिनाँकित 04.12.2023 के आधार पर दिनाँक 04.12.2023 को ही तैयार कर देना चाहिए था । यदि दि० 04.12.2023 को मेरा माह नवम्बर 2023 का बिल</u>

वाउचर, किन्हीं कारणों से तैयार नहीं किया जा सका तब दिनाँक 12.12.2023 में भी मेरा बिल वाउचर तैयार किया जा सकता था, जब श्री ज्ञानेन्द्र कुमार व श्री अतुल कुमार नायक (न्यायिक अधिकारीगण) का बिल वाउचर तैयार किया गया था। यदि माह दिसम्बर 2023 में, मेरा माह नवम्बर 2023 का बिल वाउचर तैयार नहीं किया गया था तो दिनाँक 01.01.2024 में भी मेरा बिल वाउचर तैयार किया जा सकता था जो कि लेखा लिपिक ने तैयार नहीं किया । यदि किन्हीं कारणों से मेरा बिल वाउचर दिनाँक 01.01.2024 में तैयार नहीं किया गया तो मेरा बिल वाउचर दिनाँक 05.01.2024 को, मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को आवेदन दिये जाने पर भी तैयार किया जा सकता था लेकिन तब भी लेखा लिपिक ने मेरा बिल वाउचर तैयार नहीं किया । जब मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को आवेदनपत्र दिया गया तब कूट रचित तरीके से प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से **बैक डेट, 04.12.2023** में आख्या तैयार की/करायी गयी जबकि यह आख्या दिनाँक 05.01.2024 तक आस्तित्व में थी ही नहीं।

(ii). यह कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लेखा लिपिक को दी गयी आख्या, व लेखा लिपिक द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी को **(कार्य पर उपस्थित रहने के बावजूद)** दी गयी यह आख्या कि "विमल प्रकाश आर्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 15.11.2023, 18.11.2023 व 20.11.2023 **[संलग्नक सं० 05]** तथा माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 06.12.2023, 08.12.2023 व दिनाँक 22.12.2023 **[संलग्नक सं० 06]** को मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहे " इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का कथन निम्नवत हैः-

(a). यह कि मैं, विभागीय जाँच सं० 08/22 में माननीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उक्त अवधियों में श्रीमान जनपद न्यायाधीश से प्राप्त अनुमति के आधार पर ही मुख्यालय से बाहर था, और मेरा उक्त अवधियों का आवेदनपत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृत हुआ था।

(b). यह कि **आहरण एवं वितरण अधिकारी की आख्या दिनाँकित 31.01.2024 के आधार पर (मेरे दि० 08.12.2023 को उपस्थित रहने के बावजूद) मुझे दिनाँक 08.12.2023 को गलत तरीके से अनुपस्थित दर्शाया गया है**, इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि **मैं, दिनाँक 08.12.2023 को उपस्थित था। इस तिथि की मेरी डेली सिटिंग को श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अवलोकित किया गया है**। **[संलग्नक सं० 06]**

08. यह कि प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनाँक 04.12.2023 के आधार पर लेखा लिपिक ने मेरा माह नवम्बर 2023 का बिल वाउचर नहीं बनाया, उसके बावत मेरा कथन निम्नवत हैः-

(i). यदि मै, प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दि० 04.12.2023 के आधार पर, **(कार्य पर उपस्थित रहने के बावजूद)** माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 15.11.2023, 18.11.2023 व 20.11.2023 को जानबूझकर गलत तरीके से अनुपस्थित दर्शाया गया है, तब भी मेरा माह नवम्बर 2023 का बिल वाउचर, अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समय से (दि० 30.11.2023 में ही) तैयार होना चाहिए था, लेकिन मेरा उक्त माह का बिल वाउचर लेखा लिपिक ने दवाबवश व जानबूझकर तैयार नहीं किया जबकि अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का बिल वाउचर दिनाँक 30.11.2023 में ही लेखा लिपिक ने तैयार कर दिया था।

09. यह कि प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनाँक 08.01.2024 के आधार पर पुनः लेखा लिपिक ने, मेरा माह दिसम्बर 2023 का बिल वाउचर नहीं बनाया, उसके बावत मेरा कथन निम्नवत हैः-

(i). यदि मैं, प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दि० 08.01.2024 के आधार पर माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 06.12.2023, 08.12.2023 व दिनाँक 22.12.2023 को जानबूझकर गलत तरीके से अनुपस्थित दर्शाया गया है **(जबकि दि० 08.12.2023 को मैं उपस्थित रहा था व दि० 06.12.2023 व 22.12.2024 को कार्य पर उपस्थित रहने के बावजूद)** , तब भी मेरा माह दिसम्बर 2023 का बिल

वाउचर, अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समय से (01.01.2024 में ही) तैयार किया जाना चाहिए था, लेकिन मेरा उक्त माह का बिल वाउचर भी लेखा लिपिक ने दवाबवश व जानबूझकर तैयार नहीं किया जबकि लेखा लिपिक ने, अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का बिल वाउचर दिनाँक 01.01.2024 में ही तैयार कर दिया था।

(ii). विचारणीय तथ्य यह भी है कि मेरे उक्त अवधियों में अनुपस्थित रहने पर क्या शेष उपस्थित दिनों का वेतन, मुझे, अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समय से प्रदान नहीं किया जायेगा?

(iii). यह कि क्या मेरा बिल वाउचर प्रशासनिक अधिकारी की तथा कथित गलत, फर्जी, मिथ्या, व कूट रचित आख्या दिनाँकित 04.12.2023 (**जो दिनाँक 08.01.2024 के पश्चात मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को आवेदनपत्र दिये जाने के पश्चात, Back Date में तैयार की/ करवायी गयी है**) व दिनाँक 08.01.2024 के आधार पर समय से तैयार नहीं किया जायेगा?

(vi). विचारणीय तथ्य यह भी है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के, किसी आदेश के, मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ क्रमशः दिनाँक 30.11.2023 व दिनाँक 01.12.2023 को प्रदान नहीं किया जायेगा? और यदि ऐसा कोई आदेश है भी, तो मुझे माह दिसम्बर 2023 या माह जनवरी 2024, में मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को आवेदनपत्र दिये जाने के समय तक अवगत ही नहीं कराया जायेगा।

(v). यह कि मेरे द्वारा, अपना माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्राप्त करने के लिए दिनाँक 05.01.2024, 17.01.2024, 14.02.2024, 22.02.2024, 28.02.2024 व दिनाँक 01.03.2024 को आवेदनपत्र दिये गये और दिनाँक 07.03.2024 व 05.04.2024 को मैंने व्यक्तिगत रूप से श्रीमान जनपद न्यायाधीश से भेंट कर निवेदन भी किया, उसके उपरान्त भी मुझे मेरा उक्त माह का वेतन नहीं प्रदान किया गया।

(vi). यह भी विचारणीय तथ्य है कि क्या लेखा लिपिक, प्रशासनिक अधिकारी की गलत, फर्जी, त्रुटिपूर्ण व भ्रामक आख्या के आधार पर मेरा बिल वाउचर समय से तैयार नहीं करेंगें, और मुझे भी इस बावत अवगत नहीं कराया जायेगा कि मेरा वेतन किन कारणों से समय से प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(vii). यह भी विचारणीय तथ्य है कि लेखा लिपिक किस सक्षम अधिकारी के आदेश से माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का मेरा बिल वाउचर तैयार नहीं कर रहे हैं, और कब तक तैयार नहीं करेंगें।

(viii). यह कि यदि श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक को, मेरे द्वारा आवेदन दिये जाने के बावजूद, उनके द्वारा मेरा उपरोक्त अवधियों का बिल वाउचर जानबूझकर व दवाबवश, तैयार नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

10. यह कि आहरण एवं वितरण अधिकारी/विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A.) Act द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित आख्या से स्पष्ट है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी का माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन समय से प्रदान न किये जाने या कम दिनों का बिल बाउचर तैयार किये जाने के बावत कोई भी तथ्य आहरण एवं वितरण अधिकारी/विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A.) Act के संज्ञान में कभी भी न तो लेखा लिपिक और न ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लाया गया। इससे ज्ञात होता है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी (D.D.O.) को भी मेरे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 17.01.2024 तक प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में कोई संज्ञान नहीं था और न ही ऐसा कोई तथ्य लेखा लिपिक द्वारा दिनाँक 05.01.2024 (मेरे द्वारा आवेदनपत्र दिये जाने की तिथि) या 17.01.2024 तक आहरण एवं वितरण अधिकारी (D.D.O.) के संज्ञान में लाया गया।

(i). यह कि जब मेरे आवेदनपत्र दिनाँक 14.02.2024 के पश्चात मुझे उक्त अवधियों का वेतन प्रदान नहीं किया गया तब मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को दिनाँक 22.02.2024 को पुनः आवेदनपत्र दिया गया, लेकिन तब भी मुझे वेतन प्रदान नहीं किया गया। **[संलग्नक सं० 07/1 लगायत 07/02]**

<u>नोटः</u> इस आवेदनपत्र को प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कर लिया गया लेकिन इसकी पावती नहीं दी गयी, जबकि आहरण एवं वितरण अधिकारी (D.D.O.) के यहाँ इस पत्र को प्राप्त किया गया, जिसके पुष्ठ भाग पर सम्बन्धित ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है।

(ii). यह कि जब मेरे आवेदनपत्र दिनाँक 14.02.2024 के आधार पर मेरा बिल बाउचर तैयार नहीं किया गया और मुझे वेतन प्रदान नहीं किया गया तब मेरे द्वारा दिनाँक 28.02.2024 को लेखा लिपिक को अपना माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का बिल वाउचर तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। **[संलग्नक सं० 08/1 लगायत 08/02]**

(iii). जब संलग्नक सं० 01, 02, 07 व 08 के आधार पर भी मेरा उक्त माहों का बिल बाउचर तैयार नहीं किया गया और मुझे वेतन प्रदान नहीं किया गया तब मेरे द्वारा दिनाँक 01.03.2024 को पुनः श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को पत्र प्रेषित किया गया और प्रतिलिपि श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी व श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक को प्रेषित की गयी उसके उपरान्त भी उक्त अवधियों का वेतन, मुझे प्रदान नहीं किया गया। **[संलग्नक सं० 09/1 लगायत 09/02]**

<u>नोटः</u> इस आवेदनपत्र को प्रशासनिक कार्यालय, D.D.O कार्यालय व लेखा लिपिक को प्रदान किया गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने प्राप्त कर लिया लेकिन किसी के द्वारा भी इसकी पावती नहीं दी गयी, जिसके पुष्ठ भाग पर सम्बन्धित ने अपनी आख्या प्रस्तुत की है।

11. यह कि अधोहस्ताक्षरी माह अगस्त 2023 से विभागीय जाँच में उपस्थित हो रहा है और माह अगस्त में भी मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत किया गया था और उक्त माह का वेतन अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ था।

12. विचारणीय तथ्य यह भी है कि लेखा लिपिक मेरा बिल बाउचर मेरी उपस्थिति पंजिका के अनुसार समय से तैयार करेंगें या प्रशासनिक अधिकारी की मिथ्या, कूट रचित, जाली व फर्जी आख्या के ~~आख्या के~~ आधार पर बिल बाउचर तैयार ही नहीं करेंगें और मेरा वेतन इस प्रकार से रोके रखा जायेगा।

13. यह भी विचारणीय तथ्य है कि प्रशासनिक अधिकारी ने किस आधार पर लेखा लिपिक को गलत, भ्रामक व बैक डेट में आख्या प्रस्तुत की, कि दिनाँक 15.11.2023, 18.11.2023, 20.11.2023, 06.12.2023, 08.12.2023 व 22.12.2023 को मैं अनुपस्थित रहा था जबकि मेरा मुख्यालय से बाहर रहने का आवेदनपत्र मेरे ई-पोर्टल पर स्वीकृत है, इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में मेरी माह नवम्बर व माह दिसम्बर 2023 की उपस्थिति पंजिका प्रेषित हुई है, जिसमें मेरे मुख्यालय से बाहर रहने का स्पष्ट उल्लेख है और श्रीमान जनपद न्यायाधीश के समक्ष मेरी उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत भी हुई है। इसके अतिरिक्त दिनाँक 15.11.2023 से 18.11.2023 तक, दिनाँक 18.11.2023 को, दिनाँक 20.11.2023 से 27.11.2023 तक, दिनाँक 04.12.2023 से 07.12.2023 तक एवं दिनाँक 18.12.2023 से 22.12.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने के बावत मेरा प्रार्थनापत्र मेरे ई-पोर्टल पर अपलोड है और जो श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत है।

14. यह भी जाँच का विषय है कि मेरे द्वारा बार-बार सभी सम्बन्धितों को, आवेदनपत्र दिये जाने के बावजूद अभी तक मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है?

15. महोदय यह भी अवगत कराना है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय जाँच में उपस्थित होने के बावत अपने आवेदनपत्र को, अपने ई-पोर्टल पर अपलोड किये गये थे और समस्त आवेदनपत्र

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत हुए हैं। **[संलग्नक सं० 10 लगायत 13]**

17. महोदय यह भी अवगत कराना है कि मुझे, प्रशासनिक अधिकारी व लेखा लिपिक के माध्यम से ही ज्ञात हुआ है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के मौखिक आदेश से ही मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन न दिये जाने का आदेश हुआ था, और यह आदेश श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने प्रशासनिक अधिकारी व लेखा लिपिक को दिया था। मेरे द्वारा आवेदनपत्र दिनाँकित 05.01.2024 दिये जाने के पश्चात कूट रचित तरीके से प्रशासनिक अधिकारी ने सर्वप्रथम दिनाँक 08.01.2024 को आख्या तैयार की और दिनाँक 08.01.2024 की आख्या तैयार किये जाने के पश्चात दिनाँक 04.12.2023 की आख्या तैयार हुई है। **यह भी विचारणीय व जाँच का तथ्य है कि दिनाँक 08.01.2024 की तिथि तक प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनाँकित 04.12.2023 आस्तित्व में ही नहीं थी**।

18. यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के मौखिक आदेश के अनुपालन में ही लेखा लिपिक ने मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का बिल वाउचर समय से तैयार नहीं किया था और जब मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को लिखित रूप में माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में आवेदनपत्र दिया गया, उसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम दिनाँक 08.01.2024 उसके पश्चात दिनाँक 04.12.2023 की आख्या Back Date में तैयार की। **दिनाँक 04.12.2023 की आख्या दिनाँक 08.01.2024 की आख्या के बाद ही तैयार हुई है, यह जिस कम्प्यूटर से किस तिथि पर तैयार हुई, यह भी जाँच का विषय है।**

19. महोदय यह भी अवगत कराना है कि केवल मेरा ही माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है बल्कि जिन मामलों में समय से मानदेय/वेतन प्रदान नहीं हुआ है, उनका संक्षेप में विवरण निम्नवत हैः-

(a). श्री मनोज कुमार लिपिक व श्री राजेश गौंड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यरत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर का माह मई व माह जून 2023 का वेतन प्रदान किये जाने के बावत निम्नलिखित पत्राँक प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किये गयेः-

01. पत्राँक सं० 410 दिनाँकित 01.09.2023
02. पत्राँक सं० 429 दिनाँकित 06.09.2023

अर्थात उक्त कर्मचारियों का माह मई 2023 व माह जून 2023 का वेतन समय से प्रदान नहीं किया गया और कई माह बाद अत्यन्त विलम्ब से प्रदान किया गया जबकि उक्त दोनों कर्मचारी स्थायी कर्मचारी हैं, और उन्हें वेतन प्रदान करने के लिए बजट उपलब्ध था।

(b). विधिक रक्षा एवं परामर्शदाता कार्यालय (LADCS) में कार्यरत मुख्य/उप मुख्य / सहायक विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाता का माह मई 2023 से माह जुलाई 2023 के मानदेय के भुगतान के बावत निम्नलिखित पत्राँक प्रेषित किये गयेः-

01. श्री विजय शंकर मिश्र, श्री वसीउल हसन एवं श्री अंकित पाण्डेय का माह मई 2023 से माह जून 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 19.08.2023 के पत्राँक के द्वारा श्रीमान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को प्रेषित किया गया। इस पत्र के साथ संविदा लिपिक द्वारा तैयार बिल प्रपत्र की मूल प्रति संलग्न की गयी थी, लेकिन भुगतान नहीं हुआ जिसका पत्राँक सं० 378 दिनाँकित 19.08.2023 है। इस पत्र को प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कर लिया गया था और बाद में पावती को काटकर लिपिक को वापस कर दिया था।
[छायाप्रति, संलग्नक सं० 14]
02. पत्राँक सं० 406 दिनाँकित 01.09.2023
03. पत्राँक सं० 430 दिनाँकित 08.09.2023

04. पत्राँक सं० 553 दिनाँकित ... .. [संलग्नक सं० 15/1 लगायत 15/04]

05. पत्राँक सं० 554 दिनाँकित ... .. [छायाप्रति, संलग्नक सं० 16/1-16/2]

<u>नोट</u>: <u>(01)</u>. यह कि विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाता कार्यालय में कार्यरत मुख्य/उपमुख्य/सहायक विधिक प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाताओं का मानदेय प्रपत्र बावत माह मई 2023 से माह अक्टूबर 2023 दिनाँक 01.12.2023 को श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया और मेरे द्वारा दिनाँक 01.12.2023 को अपने पत्र द्वारा उपरोक्त का माह मई 2023 से माह अक्टूबर 2023 का मानदेय तैयार कर लिपिक को, प्रेषित करने हेतु सुपुर्द किया गया जिसने पत्राँक सं० 553 द्वारा प्रेषित किया जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने विश्राम कक्ष में मेरी व संविदा लिपिक श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला की मौजूदगी में फाड़ दिया गया और स्वंय के द्वारा Approval के पश्चात अपने हस्ताक्षर फाड़कर अपने पास रख लिये, मेरे हस्ताक्षर फाड़कर मुझे दे दिये, जिसमें कुल 14 संलग्नक थे।

<u>(02)</u>. यह कि विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाता कार्यालय में कार्यरत मुख्य/उपमुख्य/सहायक विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाताओं का मानदेय प्रपत्र बावत माह नवम्बर 2023 दिनाँक 02.12.2023 को श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया और मेरे द्वारा दिनाँक 02.12.2023 को अपने पत्र द्वारा उपरोक्त का माह नवम्बर 2023 का मानदेय तैयार कर लिपिक को, प्रेषित करने हेतु सुपुर्द किया गया जिसने पत्राँक सं० 554 द्वारा प्रेषित किया जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने विश्राम कक्ष में मेरी व संविदा लिपिक श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला की मौजूदगी में फाड़ दिया गया और स्वंय के द्वारा Approval के पश्चात अपने हस्ताक्षर फाड़कर अपने पास रख लिये, मेरे हस्ताक्षर फाड़कर मुझे दे दिये।

बाद में इन्हीं पत्रांक सं० 553 व 554 के आधार पर दूसरा वेतन प्रपत्र संविदा लिपिक से तैयार कराया गया जिस पर संविदा लिपिक व मुझसे Back Date में विश्राम कक्ष में हस्ताक्षर कराये गये, जिसका भुगतान दिनाँक 14.12.2023 में हुआ।

(c). <u>श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा व श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक</u> का माह अप्रैल 2023 से माह जुलाई 2023 का वेतन प्रदान किये जाने के बावत निम्नलिखित पत्राँक प्रेषित किये गयेः-

01. उपरोक्त दोनों का माह अप्रैल 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 05.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

[छायाप्रति, संलग्नक सं० [17/1]

02. उपरोक्त दोनों का माह मई 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 05.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

[छायाप्रति, संलग्नक सं० [17/2]

03. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह जून 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 05.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

[छायाप्रति, संलग्नक सं० [18/1]

04. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह जुलाई 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 05.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

[छायाप्रति, संलग्नक सं० 18/2]

<u>श्रीमान जनपद न्यायाधीश के मौखिक आदेश के अनुपालन में उपरोक्त का पुनः उपरोक्त अवधियों का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया जो निम्नवत हैः-</u>

05. उपरोक्त दोनों का माह अप्रैल 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। **[छायाप्रति, संलग्नक सं० 19/1]**

06. उपरोक्त दोनों का माह मई 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। **[छायाप्रति, संलग्नक सं० 19/2]**

07. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह जून 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। **[छायाप्रति, संलग्नक सं० 20/1]**

08. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह जुलाई 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। **[छायाप्रति, संलग्नक सं० 20/2]**

इसके अतिरिक्त भुगतान हेतु निम्नलिखित पत्राँक भी प्रेषित किये गयेः-

01. पत्राँक सं० 382 दिनाँकित 21.08.2023
02. पत्राँक सं० 408 दिनाँकित 01.09.2023

(d). आउट सोर्सिंग के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के बावत निम्नलिखित पत्राँक प्रेषित किये गयेः-

01. श्री छत्रपाल चपरासी का माह अप्रैल से माह जुलाई 2023 का मानदेय श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 18.08.2023 को अग्रसारित किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। मानदेय का भुगतान न होने पर संविदा लिपिक ने अपने हस्ताक्षर को काट दिया। **[छायाप्रति, संलग्नक सं० 21]**

इसके अतिरिक्त भुगतान हेतु निम्नलिखित पत्राँक भी प्रेषित किये गयेः-

02. पत्राँक सं० 383 दिनाँकित 21.08.2023 सचिन, राकेश माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई 2023
03. पत्राँक सं० 384 दिनाँकित 21.08.2023 छत्रपाल माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई 2023
04. पत्राँक सं० 407 दिनाँकित 01.09.2023 छत्रपाल माह अप्रैल - जुलाई 2023
05. पत्राँक सं० 409 दिनाँकित 01.09.2023 ADR में कार्यरत संविदा कर्मी
06. पत्राँक सं० 431 दिनाँकित 08.09.2023 छत्रपाल माह अप्रैल - जुलाई 2023
07. पत्राँक सं० 432 दिनाँकित 08.09.2023 सचिन, राकेश माह अप्रैल- जुलाई 2023

यह भी अवगत कराना है कि श्री छत्रपाल, राकेश व सचिन (सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मानदेय प्रदान न होने पर उपरोक्त सभी ने अपना योगदान देना बंद कर दिया और पुनः कभी कार्य पर नहीं आये)

(e). श्री सुखराम निषाद व श्री मनीष सोनकर, रिसोर्स पर्सन के मानदेय भुगतान के बावत निम्न पत्राँक प्रेषित किया गया:-

01. पत्राँक सं० 388 दिनाँकित 22.08.2023, किन्तु कोई मानदेय प्रदान नहीं किया गया।

(f). पुरूस्कार वितरण के सम्बन्ध में-

01. पत्राँक सं० 487 दिनाँकित 09.10.2023, UPSLSA -3069/SLSA/ विविध/2023 (ऋ/सरन) दिनाँकित 23.09.2023 बावत निर्वाचक मण्डल द्वारा विद्यालयों से प्राप्त निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता में विजेयताओं को पुरूष्कृत किये जाने के सम्बन्ध में, मेरे द्वारा अपने आशुलिपिक से स्वयं की धनराशि जमा करा कर कुछ पुरूस्कार क्रय किये गये लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गयी, तत्पश्चात पुरूस्कार वापस कर दिये गये। इस प्रकार किसी भी विद्यार्थी को कोई पुरूस्कार वितरित नहीं किया गया।

(g). (i). श्री मोहम्मद इलियास खाँ, आशुलिपिक, न्यायालय M.A.C.T. बलरामपुर

महोदय यह भी अवगत कराना है कि श्री मोहम्मद इलियास खाँ, आशुलिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि जब वह न्यायालय M.A.C.T. बलरामपुर में कार्यरत थे तो उन्हें भी, उनका मानदेय, समय से महोदय द्वारा प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण उन्होंने भी कार्य करना बन्द कर दिया। बाद में श्री राम मिलन सिंह, पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री मोहम्मद इलियास खाँ, के वेतन का भुगततान हुआ था।

(ii). श्री राम सागर, कनिष्ठ लिपिक, न्यायालय M.A.C.T. बलरामपुर

महोदय यह भी संज्ञान में आया है कि श्री राम सागर, कनिष्ठ लिपिक, जब वह न्यायालय M.A.C.T. बलरामपुर में कार्यरत थे तो उन्हें भी, उनका मानदेय, समय से महोदय द्वारा प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण उन्होंने भी कार्य करना बन्द कर दिया। बाद में श्री राम मिलन सिंह, पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री राम सागर, के वेतन का भुगततान हुआ था।

(h). मुख्य/ उप मुख्य/ सहायक विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा परामर्शदाता का माह जनवरी 2024 व माह फरवरी 2024 का मानदेय प्रदान करने हेतु दिनाँक 15.03.2024 को पत्र श्री मनोज कुमार, लिपिक, द्वारा तैयार किया गया था जिस पर दि० 15.03.2024 को ही मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित करवाया गया जिस पर दिनाँक 15.03.2024 से दिनाँक 27.03.2024 तक कोई आदेश नहीं हुआ जबकि इस पत्र को लिपिक कई बार लेकर गया और लिपिक द्वारा गलत तरीके से आख्या लगवायी गयी। इस प्रकार उपरोक्त का माह जनवरी 2024 व माह फरवरी 2024 के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। **[छायाप्रति, संलग्नक सं० 22]**

(I). (i) श्री मौ० शकील खान, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत बलरामपुर का माह मार्च 2023 से माह अगस्त 2023 तक के मानदेय का भुगतान दिसम्बर 2023 में हुआ तथा माह सितम्बर 2023 से माह दिसम्बर 2023 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 31.03.2024 में हुआ लेकिन माह जनवरी 2024 व माह फरवरी 2024 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 31.03.2024 तक नहीं हुआ और न ही आज तिथि 30.04.2024 तक हुआ है।

(ii) श्री आशेष श्रीवास्तव सदस्य, स्थायी लोक अदालत, बलरामपुर का माह मार्च 2023 से दिसम्बर 2023 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 30.03.2024 में हुआ लेकिन माह जनवरी 2024 व माह फरवरी 2024 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 31.03.2024 तक नहीं हुआ और न ही आज तिथि 30.04.2024 तक हुआ है।

(iii) श्री अम्बिकेशवर प्रसाद मिश्रा सदस्य, स्थायी लोक अदालत, बलरामपुर का माह सितम्बर 2023 से दिसम्बर 2023 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 30.03.2024 में हुआ लेकिन माह जनवरी 2024 व माह फरवरी 2024 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 31.03.2024 तक नहीं हुआ और न ही आज तिथि 30.04.2024 तक हुआ है।

(iv) श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, पेशकार, स्थायी लोक अदालत, बलरामपुर का माह अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक के मानदेय का भुगतान दिनाँक 31.03.2024 तक नहीं हुआ और न ही आज तिथि 30.04.2024 तक हुआ है।

20. यह कि मेरे द्वारा माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 14.11.2023 व दिनाँक 18.11.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड प्रार्थनापत्र स्वीकृत हुए थे, यदि उसके उपरान्त भी मुझे कभी यह सूचित किया गया होता कि मैं माह नवम्बर 2023 में अमुक-अमुक तिथि पर अनुपस्थित रहा हूँ और मुझे माह नवम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 01.12.2023 या दिनाँक 02.12.2023 को प्रदान किया गया होता तो माह दिसम्बर 2023 में इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी की आख्यानुसार गलत तरीके से अनुपस्थित दर्शाये जाने का कोई कारण नहीं होता।

21. यह कि दिनाँक 21.03.2024 को पत्राँक सं० 181 /D.L.S.A./Blp श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित किया गया एवं अनुरोध किया गया कि लेखा लिपिक को निर्देशित करने का कष्ट करें कि

मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का बिल वाउचर तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें जिससे उसका भुगतान हो सके, और इस आवेदनपत्र की प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी व श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक को प्रेषित की गयी, प्रति सभी सम्बन्धितों को प्राप्त हो गयी लेकिन किसी भी कार्यालय द्वारा पावती नहीं दी गयी है और न ही मेरा उक्त अवधि का वेतन प्रदान किया गया।

नोट:

(01). मुझे आज दिनाँक 30.04.2024 तक, माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान नहीं किया गया है जबकि इस बावत मेरे द्वारा पत्राँक सं० 10 दिनाँक 05.01.2021, पत्राँक सं० 40 दिनाँक 17.01.2021, पत्राँक सं० 123 दिनाँक 22.02.2021, पत्राँक सं० 137 दिनाँक 01.03.2024 व पत्राँक सं० 181 दिनाँक 21.03.2024 श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित किया गया जिसमें दिनाँक 22.02.2024, 01.03.2024 व 21.03.2024 की प्रतिलिपि आहरण एवं वितरण अधिकारी व श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक, बलरामपुर को प्रेषित की गयी।

(02). पत्राँक सं० 103 दिनाँक 22.02.2024 आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित की गयी।

(03). पत्राँक सं० 130 दिनाँक 28.02.2024 श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक, बलरामपुर को प्रेषित किया गया, जिसकी पावती नहीं दी गयी।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मेरे इस प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कृपा करें तथा माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्णित तथ्यों, संलग्न संलग्नकों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान कराने का आदेश देने की कृपा करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि मेरे उपरोक्त अवधियों का वेतन लगभग छः माह तक प्रदान न करने पर जो आर्थिक हानि हुई है, वह हानि भी उपरोक्त से दिलाये जाने व मेरा वेतन समय से तैयार न करने पर लेखा लिपिक व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 04.12.2023 की आख्या माह जनवरी 2024 में मिथ्या, गलत व फर्जी तरीके से Back Date में तैयार करने पर दोषी के विरूद्व उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

30.04.2024

दिनाँक: 30.04.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

संलग्नक :

01. मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित आवेदनपत्र की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 01)]
02. मेरे द्वारा दिनाँक 17.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित आवेदनपत्र की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 02)]
03. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित आख्या दिनाँक 31.01.2024 की छायाप्रति एक [(01) [पेज सं० 03)]
04. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी/ विशेष न्यायाधीश S.C. /S.T. (P.A.) Act को प्रेषित पत्र दिनॉक 14.02.2024 की छायाप्रतियाँ दो [(02) (पेज सं० 04 लगायत 07)]

05. मुझ अधोहस्ताक्षरी की माह नवम्बर 2023 की उपस्थिति पंजिका एक [(01) (पेज सं० 08)]

06. मुझ अधोहस्ताक्षरी की माह दिसम्बर 2023 की उपस्थिति पंजिका **(विशेष रूप से दिनाँक 08.12.2023 के बावत)** की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 09)]

07. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित पत्र दिनॉक 22.02.2024 की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 10 लगायत 11)]

08. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक को प्रेषित पत्र दिनॉक 28.02.2024 की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 12 लगायत 13)]

09. मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित पत्र दिनॉक 01.03.2024 की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 14 लगायत 15)]

10. माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 14.11.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 16)]

11. माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 18.11.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 17)]

12. माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 02.12.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 18)]

13. माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 16.12.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 19)]

14. पत्राँक सं० 378 LADC में कार्यरत प्रतिरक्षा परामर्शदाताओं का मानदेय बावत माह मई व माह जून 2023 दिनाँकित 19.08.2023 की छायाप्रति एक [(01) (पेज सं० 20)]

15. पत्राँक सं० 553 दिनाँकित 01.12.2023 की छायाप्रति चार [(04) (पेज सं० 21 लगायत 24)]

16. पत्राँक सं० 554 दिनाँकित 02.12.2023 की छायाप्रति दो [(02) (पेज सं० 25 लगायत 26)]

17. श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा व श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह अप्रैल 2023 व माह मई 2023 का मानदेय जिसे श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया और जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 05.08.2023 को अग्रसारित किया गया, की छायाप्रतियाँ दो [(02) (पेज सं० 27 लगायत 28)]

18. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह जून 2023 व माह जुलाई 2023 का मानदेय जिसे श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया और जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 05.08.2023 को अग्रसारित किया गया, की छायाप्रतियाँ दो [(02) (पेज सं० 29 लगायत 30)]

19. श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा व श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह अप्रैल 2023 व माह मई 2023 का मानदेय जिसे श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया और जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया, की छायाप्रतियाँ दो [(02) (पेज सं० 31 लगायत 32)]

20. श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला का माह जून 2023 व माह जुलाई 2023 का मानदेय जिसे श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला संविदा लिपिक द्वारा तैयार किया गया और जिसे मेरे द्वारा दिनाँक 11.08.2023 को अग्रसारित किया गया, की छायाप्रतियाँ दो [(02) (पेज सं० 33 लगायत 34)]

21. श्री छत्रपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (आउट सोर्सिंग के आधार पर नियुक्त) का माह अप्रैल 2023 से माह जुलाई 2023 तक प्रशान्त कुमार शुक्ला द्वारा तैयार व मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रसारित मानदेय की छायाप्रति दिनाँकित 18.08.2023 एक [(01) (पेज सं० 35)]

22. मेरे द्वारा दिनाँक 15.03.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित पत्र बावत भुगतान किये जाने मानदेय LADC, माह जनवरी 2024 व माह फरवरी 2024 की छायाप्रति एक [(01) (पेज 36)]

कुल संलग्नक छत्तीस (36)

नोटः चूँकि मेरे किसी भी आवेदनपत्र की पावती प्रशासनिक कार्यालय द्वारा नहीं दी जाती है, जिसका उल्लेख मैंने अपने प्रत्यावेदन में किया है, व संलग्नकों में सभी सम्बन्धितों की आख्या भी अंकित है। अतः उक्त की एक एडवान्स प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भी माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है।

प्रेषक
विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में
श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

पत्राँक सं० : 10/DLSA Blp/2024-
विषय : माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान कराये जाने के बावत।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि मुझे अभी तक माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सभी न्यायिक अधिकारियों व समस्त कर्मचारियों को उक्त अवधियों का वेतन प्राप्त हो चुका हैं। वेतन प्राप्त न होने से गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी अवगत कराना है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फीस समय से जमा न होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित किये जाने की संभावना है।

यह भी अवगत कराना है कि मेरे एक बेटे का दाँत का इलाज भी बरेली में चल रहा है, जिसकी सूचना नियमानुसार प्रेषित की जा चुकी है, यदि वेतन प्रदान नहीं होता है तो चिकित्सक द्वारा बिना भुगतान के उपचार करने से इंकार किये जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कुछ माह पूर्व वर्ष 2023 में भी मुझे दो माह तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ था, जो अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त हुआ था।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे उपरोक्त (माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023) अवधियों का वेतन प्रदान कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय
05.01.2024.
(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

दिनाँक: 05.01.2024

05/1/24

प्रेषक — विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में — श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

पत्राँक सं० : 40/DLSA BLP/2024 दि० 17.01.2024
विषय : माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान कराये जाने के बावत।

महोदय

अत्यन्त खेद व निराशा के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, मजबूर होकर इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को पत्र भी प्रेषित किया गया था, उसके बावजूद अभी तक मुझे उक्त माहों का वेतन प्राप्त नहीं कराया गया है, जबकि समस्त न्यायिक अधिकारियों व समस्त कर्मचारियों को उक्त अवधियों का वेतन प्राप्त हो चुका हैं।

आज दिनाँक 17.01.2024 को लेखा लिपिक द्वारा माह नवम्बर 2023 का मेरा वेतन 27 दिन व माह दिसम्बर 2023 का वेतन 28 दिन का स्वतः तैयार किया गया और मेरे समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया, मेरे द्वारा माह नवम्बर 2023 का 30 दिन व माह दिसम्बर 2023 का 31 दिन का वेतन तैयार करने हेतु कहा गया, जिसे मैंने हस्ताक्षर करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि यदि इस सम्बन्ध में यदि किसी सक्षम अधिकारी को कोई आदेश हो तो मुझे इस बावत अवगत कराया जाए, लेकिन मेरे समक्ष किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश प्रस्तुत नही किया गया, इस कारण मेरे द्वारा उक्त वेतन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया गया। समयाभाव के कारण संक्षेप में सूचना प्रेषित की जा रही है, विस्तृत सूचना शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी।

महोदय से निवेदन है कि जिस किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रपत्र तैयार नहीं कराया गया या जिस किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के मौखिक या लिखित आदेश से मेरा उक्त अवधियों का वेतन समय से प्रदान नहीं कराया गया या मेरे द्वारा दिये गये आवेदनपत्र दिनाँक 05.01.2024 के पश्चात से जिस किसी आदेश के तहत कम दिनों का वेतन प्रपत्र तैयार कराया गया है, उस आदेश से मुझे अवगत कराने की कृपा करें जिससे अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यक व उचित आवेदन प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 17.01.2024

दिनाँक: 17.01.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

श्रीमान जी
प्रार्थी द्वारा इस पत्र को प्रशासनिक
कार्यालय में प्राप्त कराया जा चुका है
जिसकी एक प्रति पर रिसीव करने से
इन्कार कर दिया गया।

चन्द्रसेन
P.L.V
17/1/2024

(3)

प्रेषक,

विनोद कुमार–V.
आहरण वितरण अधिकारी/
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
बलरामपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
बलरामपुर।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि लेखा लिपिक, जनपद न्यायालय, बलरामपुर द्वारा प्रशासनिक अधिकारी की आख्या दिनांकित 04.12.2023 एव 08.01.2024 के आलोक में श्री विमल प्रकाश आर्या, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर के वेतन आहरण के सम्बन्ध में दिनांक 18.01.2024 को आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया। लेखा लिपिक ने अपनी आख्या में यह उल्लेख किया कि प्रषासनिक अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह उल्लेख किया कि श्री विमल प्रकाश आर्या, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर माह नवम्बर में दिनांक 15.11.2023, 18.11.2023 व 20.11.2023 तथा माह दिसम्बर में दिनांक 06.12.2023, 08.12.2023 व 22.12.2023 को मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहे है।

लेखा लिपिक द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया है कि प्रशासनिक अधिकारी की आख्या के अनुक्रम में श्री विमल प्रकाश आर्या, अपर जनपद न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर का माह–नवम्बर, 2023 का 27 दिवस का एवं माह–दिसम्बर, 2023 का 28 दिवस का वेतन यू0पी0कोष पोर्टल पर मुद्रित कर श्री विमल प्रकाश आर्या, अपर जनपद न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर बनाने से इन्कार किया गया।

मेरी राय में कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी माह में यदि बिना अवकाश प्रार्थना–पत्र के अनुपस्थित रहता है तो उसे अनुपस्थित दिवस का नियमानुसार अनुमन्य अवकाश प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष अथवा पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा, परन्तु उपरोक्त अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर अनुपस्थित दिनों का कोई अवकाश प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया है।

तदनुसार लेखा लिपिक की मूल आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ सादर अग्रसारित है।

भवदीय
31-01-2024
(विनोद कुमार–V)
आहरण वितरण अधिकारी/
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
बलरामपुर।

Inform the officer doing the needful at his end.
31/01/2024

प्रेषक
विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में
श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी/
विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A) Act.
बलरामपुर।

पत्राँक सं० :103/DLSA/Blp Dated:14.02.2024.
विषय : माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान किये जाने के बावत।
सन्दर्भ : लेखा लिपिक की आख्या दिनाँकित 18.01.2024 के आधार पर, आपके द्वारा, श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित आख्या दिनाँकित 31.01.2024 ।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी का न तो माह नवम्बर 2023 और न ही माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 16.01.2024 तक तैयार किया गया। इस बावत मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को भी पत्र प्रेषित किया गया। उसके उपरान्त भी मेरा उक्त अवधि का वेतन तैयार नहीं किया गया।

महोदय, लेखा लिपिक की आख्या दिनाँकित 18.01.2024 के आधार पर, आपके द्वारा दिनाँक 31.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित आख्या, जिस पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में मुझे सूचित किया गया, इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का कथन निम्नलिखित है:-

01. यह कि मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व न्यायालय के कर्मचारियों के साथ दिनाँक 30.11.2.2023 को तैयार नहीं किया गया और न ही दिनाँक 01.12.2023 व 02.12.2023 को तैयार किया गया और न ही माह दिसम्बर 2023 में और न ही दिनाँक 16.01.2024 तक तैयार किया गया, और न ही इस बावत मुझे कभी सूचित किया गया।

02. यह कि मेरा माह दिसम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व न्यायालय के कर्मचारियों के साथ न तो दिनाँक 01.12.2023 से दिनाँक 16.01.2024 तक तैयार किया गया, और न ही इस बावत मुझे कभी सूचित किया गया।

इस प्रकार मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व न्यायालय के कर्मचारियों के साथ समय से तैयार ही नहीं किया गया।

03. यह कि जब मुझे उक्त माह का वेतन दिनाँक 04.01.2024 तक प्राप्त नहीं हुआ तब मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया गया लेकिन दिनाँक 16.01.2024 तक मुझे उक्त माहों का वेतन प्राप्त नहीं हुआ।

[छायाप्रति संलग्नक सं० (01)]

04. यह कि लेखा लिपिक द्वारा दिनाँक 17.01.2024 को जब मेरा माह नवम्बर 2023 का 27 दिन व माह दिसम्बर 2023 का 28 दिन का वेतन प्रपत्र तैयार कर मुझ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया तब मेरे द्वारा कम दिनों का वेतन तैयार किये जाने के बावत पूछताछ की गयी कि किस आदेश के तहत मेरा माह नवम्बर व दिसम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व

न्यायालय के कर्मचारियों के साथ समय से तैयार नहीं किया गया और वेतन पूर्ण दिवसों का तैयार न करके कम दिनों का तैयार किया गया है, इस पर उनके द्वारा कोई जबाव नहीं दिया गया। तब दिनाँक 17.01.2024 को श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित पत्र किया गया। [छायाप्रति संलग्नक सं० (02)]

05. यह कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लेखा लिपिक को दी गयी आख्या, व लेखा लिपिक द्वारा श्रीमान जी को दी गयी यह आख्या कि "विमल प्रकाश आर्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 15.11.2023, 18.11.2023 व 20.11.2023 तथा माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 06.12.2023, 08.12.2023 व दिनाँक 22.12.20123 को मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहे "

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रशासनिक अधिकारी की उक्त आख्या गलत व त्रुटिपूर्ण है, जिसके आधार निम्नवत हैं:-

(i) यह कि मैं, माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 14.11.2023 को प्रस्तुत आवेदनपत्र बावत मुख्यालय से बाहर रहने, दिनाँक 15.11.2023 की यात्रा अवकाश की अनुमति के साथ दिनाँक दिनाँक 16.11.2023, 17.11.2023 व 18.11.2023 को विभागीय जाँच सं० 08/22 (समक्ष माननीय न्यायमूर्ति/जाँच अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद) में उपस्थित होने व दिनाँक 20.11.2023 की प्रातः 10:00 बजे तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ मुख्यालय से बाहर था। मेरा उक्त आवेदन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृत हुआ था।

[छायाप्रति संलग्नक सं० (03) व संलग्नक सं० (07)]

(ii) यह कि मा० न्यायमूर्ति / जाँच अधिकारी महोदय ने दिनाँक 16.11.2023 को ही उक्त विभागीय जाँच में तिथि 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023 व 24.11.2023 नियत कर दी और दिनाँक 17.11.2023 को उक्त विभागीय जाँच प्रस्तुत होने पर पुनः तिथि 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023 व 24.11.2023 नियत कर, दिनाँक 18.11.2023 की तिथि निरस्त कर दी। चूँकि दिनाँक 17.11.2023 को ही वापस आकर और दिनाँक 18.11.2023 को कार्य पर उपस्थित रहना और पुनः दिनाँक 21.11.2023 को विभागीय जाँच में उपस्थित होने हेतु दिनाँक 20.11.2023 को पुनः जाना संभव न होने के कारण श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को इस बावत अवगत कराकर व मोबाईल फोन से सूचित कर महोदय की अनुमति प्राप्त हुई थी।

यह कि इस तथ्य की सूचना मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को, उनके मोबाईल पर दी गयी और मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान करने के बावत अवगत कराया गया और इस बावत निवेदन किया गया। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय की मौखिक अनुमति प्राप्त कर दिनाँक 18.11.2023 को मेरे द्वारा एक आवेदनपत्र अपने ई-पोर्टल पर अपलोड किया गया और दिनाँक 25.11.2023 का यात्रा अवकाश की अनुमति के साथ दिनाँक 20.11.2023 से 27.11.2023 की प्रातः 10:00 बजे तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति विस्तारित करने का आवेदनपत्र प्रेषित किया गया। मेरा उक्त आवेदन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृत हुआ था।

[छायाप्रति संलग्नक सं० (04) व संलग्नक सं० (07)]

(iii) यह कि मैं, माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 02.12.2023 को प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर, दिनाँक 06.12.2023 की यात्रा अवकाश की अनुमति के साथ दिनाँक 03.12.2023 से दिनाँक 05.12.2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ दिनाँक 07.12.2023 की प्रातः 10:00 बजे तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया था। मेरा उक्त आवेदन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृत हुआ था।

[छायाप्रति संलग्नक सं० (05) व संलग्नक सं० (08)]

(iv) यह कि मैं, माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 16.12.2023 को प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर, दिनाँक 18.12.2023 व 22.12.2023 की यात्रा अवकाश की अनुमति के साथ दिनाँक 16.12.2023 के आकस्मिक अवकाश की अनुमति के साथ दिनाँक 23.12.2023 की प्रातः 10:00 बजे तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया था। मेरा उक्त आवेदन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृत हुआ था।

[छायाप्रति संलग्नक सं० (06) व संलग्नक सं० (07)]

(v) यह कि मैं, विभागीय जाँच सं० 08/22 में माननीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उक्त अवधियों में मुख्यालय से बाहर था, और मेरा उक्त अवधियों का आवेदनपत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वीकृत हुआ था।

(vi) यह कि आख्या दिनाँकित 31.01.2024 के अनुसार मैं दिनाँक 08.12.2023 को अनुपस्थित था, इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि मैं, दिनाँक 08.12.2023 को उपस्थित था। इस तिथि की मेरी डेली सिटिंग को श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अवलोकित भी किया गया है।

[छायाप्रति संलग्नक सं० (08)]

06. यह कि प्रशासनिक अधिकारी की जिस आख्या के आधार पर मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन नहीं बनाया गया, उसके आधार पर मेरा कथन निम्नवत है:-

(i) यह कि यदि मैं माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 15.11.2023, 18.11.2023 व 20.11.2023 को अनुपस्थित रहा था तो क्या मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ तैयार नहीं किया जायेगा ?

(ii) ठीक इसी प्रकार यदि मैं माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 06.12.2023, 08.12.2023 व 22.12.2023 को अनुपस्थित रहा था तो क्या मेरा माह दिसम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ तैयार नहीं किया जायेगा ?

(iii) यह कि मेरे उक्त अवधियों में अनुपस्थित रहने पर क्या शेष उपस्थित दिनों का वेतन मुझे समय से अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ प्रदान नहीं किया जायेगा?

07. यह कि महोदय द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित आख्या से स्पष्ट है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी का माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन समय से प्रदान न किये जाने या कम दिनों का वेतन प्रपत्र तैयार किये जाने के बावत कोई तथ्य महोदय के संज्ञान में भी नहीं लाया गया, और न ही मेरा वेतन समय से प्रदान न किये जाने व कम दिनों का वेतन तैयार किये जाने के बावत भी किसी सक्षम अधिकारी का कोई आदेश नही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र व संलग्न, संलग्नकों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान कराने का आदेश सम्बन्धित को देने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

14.02.2024

दिनाँक: 14.02.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

P.T.O.

by the Sender

संलग्नक:

01. मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित आवेदपत्र की छायाप्रति।-
02. मेरे द्वारा दिनाँक 17.01.2024 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित आवेदपत्र की छायाप्रति।
03. माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 14.11.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रतियाँ।
04. माह नवम्बर 2023 में दिनाँक 18.11.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रतियाँ।
05. माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 02.12.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रतियाँ।
06. माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 16.12.2023 को ई-पोर्टल पर अपलोड आवेदनपत्र, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया, की छायाप्रतियाँ।
07. माह नवम्बर 2023 की उपस्थिति पंजिका।
08. माह दिसम्बर 2023 की उपस्थिति पंजिका। (विशेष रूप से दिनाँक 08.12.2023 के बावत)

कुल छः (08)

प्रतिलिपि

श्रीमान जनपद न्यायाधीश बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01. 14/4/24

02. DJST ACJ Balrampur 12-9-2024

0/c

संलग्नक सं०05

DAILY SITTING OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE, BALRAMPUR
FOR THE MONTH OF NOVEMBER - 2023
PRESENT – SHRI VIMAL PRAKASH ARYA

DATE		REMARK
01/11/23	10:00 to 17:00 (1) Meeting with branch managers (2) Meeting with PLVs (3) Meeting with Tahsildar (4) Meeting UTRC	I/C D.J.
02/11/23	10:00 to 17:00	I/C D.J.
03/11/23	10:00 to 17:00 (1) Jail inspection	I/C D.J.
04/11/23	10:00 to 17:00	D.J.
05/11/23	SUNDAY	D.J.
06/11/23	10:00 to 17:00 (1) Meeting with other officer for [illegible] programme dated 09.11.2023 legal service day	D.J.
07/11/23	10:00 to 17:00 (1) V.C at 14:00 about programme dated 09.11.2023	D.J.
08/11/23	10:00 to 17:00 (1) Jail inspection (2) Meeting of UTRC under [illegible]	I/C D.J.
09/11/23	10:00 to LL camp (1) Memorial (2) [illegible] hospital (3) combined [illegible] (4) [illegible] jail and (5) Jail inspection (6) [illegible]	D.J.
10/11/23	10:00 to 17:00 (1) Monthly meeting [illegible]	D.J.
11/11/23	SECOND SATURDAY	
12/11/23	SUNDAY	
13/11/23	DEEPAWALI HOLIDAY	
14/11/23	LOCAL HOLIDAY	
15/11/23	Journey leave for DE 08/22	
16/11/23	Attended DE 08/22	
17/11/23	" " "	
18/11/23	Inspection by Govt concerned to DE	
19/11/23	SUNDAY	
20/11/23	Journey leave for DE 08/22	
21/11/23	Attended DE 08/22	
22/11/23	" " "	
23/11/23	" " "	
24/11/23	" " "	
25/11/23	FORTH SATURDAY	
26/11/23	SUNDAY	
27/11/23	[illegible] leave LOCAL HOLIDAY	
28/11/23	[illegible] leave	
29/11/23	[illegible] leave	
30/11/23	[illegible] leave	

DAILY SITTING OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE, BALRAMPUR FOR THE MONTH OF DECEMBER - 2023

PRESENT – SHRI VIMAL PRAKASH ARYA

DATE		REMARK
01/12/23	10:00 to 17:00 (1) Meeting with Branch Managers (2) Meeting with PLV (3) Meeting with Tehsildar	D.J.
02/12/23	10:00 to 17:00	D.J.
03/12/23	SUNDAY	
04/12/23	Attended DE 08/22	
05/12/23	Attended DE 08/22	
06/12/23	Journey leave for DE 08/22	
07/12/23	10:00 to 17:00	OM/ I/C D.J.
08/12/23	10:00 to 17:00	D.J.
09/12/23	LOI Adalat attended SECOND SATURDAY	
10/12/23	SUNDAY	
11/12/23	10:00 to 17:30 (V.C attended 16:30 to 17:30)	D.J.
12/12/23	10:00 to 17:00	D.J.
13/12/23	10:00 to 17:00	D.J.
14/12/23	10:00 to 17:00	D.J.
15/12/23	C.L	
16/12/23	C.L	
17/12/23	SUNDAY	
18/12/23	Journey leave for DE 08/22	
19/12/23	Attended DE 08/22	
20/12/23	Attended DE 08/22	
21/12/23	Attended DE 08/22	
22/12/23	Journey leave for DE 08/22	
23/12/23	FOURTH SATURDAY	
24/12/23	SUNDAY	
25/12/23	CHRISTMAS	
26/12/23	WINTER VACATION	
27/12/23	WINTER VACATION	
28/12/23	WINTER VACATION	
29/12/23	WINTER VACATION	
30/12/23	WINTER VACATION	
31/12/23	WINTER VACATION	

प्रेषक
विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में
श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

Dated:22.02.2024.

पत्रांक सं० : 123 DLSA/Blp
विषय : माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान किये जाने के बावत।
सन्दर्भ : (01). मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँकित 05.01.2024
: (02). मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँकित 17.01.2024
: (03). मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनाँकित 14.002.2024 की प्रतिलिपि।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी को माह नवम्बर 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ न तो माह दिसम्बर 2023 में और न ही माह जनवरी 2024 और न ही माह फरवरी 2024 (तीन माह व्यतीत हो चुके हैं) में प्रदान किया गया, इसी प्रकार माह जनवरी 2023 का वेतन अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ माह जनवरी 2023 में दिनाँक 01.01.2024 (दो माह माह व्यतीत होने पर भी) तक प्रदान किया गया, तत्पश्चात मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 को महोदय को पत्र प्रेषित कर उक्त अवधि का वेतन दिलाये जाने का निवेदन किया, किन्तु दिनाँक 16.01.2024 तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। दिनाँक 17.01.2024 को लेखा लिपिक द्वारा गलत प्रशासनिक अधिकारी की गलत व भ्रामक आख्या व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पूर्ण अवधियों का वेतन पपत्र तैयार न किये जाने पर मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 17.01.2024 को पत्र प्रेषित किया गया तत्पश्चात दिनाँक 02.02.2024 को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा महोदय को प्रेषित आख्या, जिसे मुझ अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया था जिसके बावत मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 14.02.2024 को श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया व प्रतिलिपि महोदय को प्रेषित की गयी और अपना माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिलाये जाने का निवेदन किया, किन्तु अभी तक उक्त अवधियों का मेरा वेतन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि मेरा माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

22.02.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

दिनाँक: 22.02.2024

प्रतिलिपि

श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी/ विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A) Act. बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँकित 14.02.2024 में वर्णित तथ्य, मय संलग्नकों के प्रकाश में उक्त अवधियों का वेतन प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

- A.A.O. – [signature]
22.2.2024

श्रीमान् जी,

इस पत्र को मेरे द्वारा प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त कराया गया जिसकी रिसीव नहीं दी गयी

मो० आरिफ P.L.V
बलरामपुर

प्रेषक
विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में
श्री राजीव जायसवाल
लेखा लिपिक
बलरामपुर।

पत्रांक सं० : 130/D.L.S.A./Blp. Dated:28.02.2024.

विषय : माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्राप्त न होने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन प्रपत्र न तो दिनाँक 01.12.2023 को तैयार किया गया और न ही दिनाँक 05.01.2024 तक तैयार किया गया। ठीक इसी प्रकार मेरा माह दिसम्बर 2023 का वेतन न तो दिनाँक 01.01.2024 को तैयार किया गया और न ही दिनाँक 05.01.2024 तक तैयार किया गया जबकि उपरोक्त वर्णित तिथियों पर अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन प्रपत्र समय से तैयार किया गया था जिन्हें माह नवम्बर 2023 का वेतन माह दिसम्बर 2023 में और माह दिसम्बर 2023 का वेतन माह जनवरी 2024 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो गया था लेकिन मुझे उक्त वर्णित माह में कोई भी वेतन प्राप्त नहीं हुआ और न ही अब तक प्राप्त हुआ है।

(01) जिस प्रकार अन्य न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का माह नवम्बर 2023 का वेतन प्रपत्र दिनाँक 30.11.2023 में तैयार कर दिया गया उसी प्रकार मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन प्रपत्र भी दिनाँक 01.12.2023, 02.12.2023 में तैयार हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ।

(02) यदि प्रशासनिक अधिकारी की तथा कथित गलत, फर्जी व कूट रचित आख्या (जो दिनाँक 04.12.2023 को प्रस्तुत किया जाना बताया गया है यद्यपि ऐसी कोई आख्या दिनाँक 08.01.2024 तक आस्तित्व में थी ही नहीं, बल्कि दिनाँक 08.01.2024 के पश्चात Back Date में तैयार की/करवायी गयी है) दिनाँकित 04.12.2023 के आधार पर भी मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 08.12.2023 से दिनाँक 15.12.2023 तक की अवधि के दौरान तैयार नहीं किया गया।

प्रथम, यह कि मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन शेष न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह ही दिनाँक 30.11.2023 में ही तैयार हो जाना चाहिए था, जो कि तैयार नहीं हुआ।

द्वितीय, यह कि मेरा वेतन दिनाँक 30.11.2023 में यदि किन्हीं कारणों से तैयार नहीं हुआ था तो दिनाँक 01.12.2023 में तैयार हो जाना चाहिए था।

तृतीय, यह कि मेरा वेतन दिनाँक 30.11.2023 व दिनाँक 01.12.2023 में यदि किन्हीं कारणों से तैयार नहीं हुआ था तो दिनाँक 02.12.2023 में तैयार हो जाना चाहिए था।

चतुर्थ, यह कि यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रशासनिक अधिकारी ने मेरे अनुपस्थित रहने के बावत दिनाँक 04.12.2023 को सूचना प्रेषित की थी तब भी मेरा माह नवम्बर का वेतन माह दिसम्बर 2023 में दिनाँक 04.12.2023 को तैयार हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ।

पंचम, यह कि मैं दिनाँक 06.12.2023 से दिनाँक 12.12.2023 तक मौजूद रहा था, इस

दौरान भी मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन तैयार हो जाना चाहिए था, जो कि तैयार नहीं हुआ।

<u>छष्टम्,</u> यह कि मेरा माह नवम्बर का वेतन माह दिसम्बर में किसी भी तिथि पर तैयार नहीं हुआ और न ही दिनाँक 30.11.2023 से दिनाँक 16.01.2024 (लगभग 48 दिनों) तक तैयार नहीं हुआ।

नोटः सभी न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का माह नवम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 30.11.2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 01.01.2024 को तैयार कर दिया गया था लेकिन उक्त अवधियों में भी मेरा माह नवम्बर 2023 का वेतन तैयार नहीं किया गया।

सप्तम, यह कि ठीक इसी प्रकार सभी न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 01.01.2024 को तैयार कर दिया गया था लेकिन उक्त अवधि में भी मेरा माह दिसम्बर 2023 का वेतन तैयार नहीं किया गया।

अतः मुझ अधोहस्ताक्षरी का माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रपत्र तैयार कर वेतन का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

दिनाँक: 28.02.2024

28.02.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

पत्राँक सं० : 137/D.L.S.A./Blp. Dated:01.03.2024.

विषय : माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान किये जाने के बावत।

सन्दर्भ :(01) मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्राँक सं० 103/D.L.S.A./Blp. दि० 14.02.2024

:(02) मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित पत्राँक सं० 123/D.L.S.A./Blp. Dated:22.02.2024 की प्रतिलिपि

महोदय

अवगत कराना है कि मुझ अधोहस्ताक्षरी को माह नवम्बर 2023 एवं माह दिसम्बर 2023 का वेतन दिनाँक 16.01.2024 तक प्रदान नहीं किया गया । इस बावत मेरे द्वारा दिनाँक 05.01.2024 व दिनाँक 22.02.2024 महोदय को पत्र प्रेषित किया गया। किन्तु आज दिनाँक 02.03.2024 तक उपरोक्त अवधियों का वेतन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे आयकर रिटर्न भी दाखिल करना है।

अतः महोदय से पुनः अनुरोध है कि मुझे माह नवम्बर 2023 व माह दिसम्बर 2023 का वेतन प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

01.03.2024

दिनाँक: 01.03.2024

(विमल प्रकाश आर्य)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर।

प्रतिलिपि

01. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी/विशेष न्यायाधीश S.C./S.T. (P.A) Act बलरामपुर।
02. श्री राजीव जायसवाल, लेखा लिपिक जनपद न्यायालय बलरामपुर।